

सरकार रोग की रोकथाम और नियंत्रण अध्यादेश के तहत प्रासंगिक विनियमों के खिलाफ अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाएगी।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

सरकार ने आज (4 दिसंबर) को घोषणा की कि वह रोग की रोकथाम और नियंत्रण अध्यादेश (Cap. 599) के तहत सहायक विधानों में संशोधन राजपत्रित करेगी, ताकि आवश्यक प्रतिरोध प्रभाव बनाने के लिए प्रासंगिक विनियमों के तहत आवश्यकताओं का उल्लंघन करने पर दंड में वृद्धि की जा सके। प्रासंगिक विधायी संशोधन 11 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होंगे।

खाद्य और स्वास्थ्य ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने कहा, महामारी-विरोधी कार्य में सभी नागरिकों के सहयोग और आत्म-अनुशासन की आवश्यकता है, जिसमें भीड़ से बचने, सामाजिक दूरी और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने सहित विभिन्न महामारी विरोधी उपायों का कड़ाई से पालन करना शामिल है। सरकार ने पिछले कुछ महीनों में लोगों के प्रवाह और सामाजिक संपर्क को कम करने के लिए रोकथाम और रोग नियंत्रण अध्यादेश के तहत कई विनियम लागू किए हैं ताकि समुदाय में वायरस को फैलने से रोका जा सके। बढ़ती महामारी का सामना करते हुए, विभिन्न संक्रमण नियंत्रण उपायों को कड़ा करने के अलावा आवश्यक प्रतिरोधक प्रभावी बनाने और प्रासंगिक आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक दंड में वृद्धि करना अनिवार्य है।"

प्रासंगिक विनियमों के तहत संशोधित नवीनतम दंड इस प्रकार हैं:

(1) रोग की रोकथाम और नियंत्रण (समूह सभा पर निषेध) विनियमन (Cap. 599G) के तहत, जो कोई भी व्यक्ति निषिद्ध समूह सभा में भाग लेता है, वह अपराध करता है। अपराध के लिए दायित्व का निर्वहन करने के लिए निश्चित जुर्माना \$ 2,000 से बढ़ाकर \$ 5,000 कर दिया गया है;

(2) रोग की रोकथाम और नियंत्रण (मास्क पहनना) विनियमन (Cap. 599I) के तहत, कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक परिवहन वाहक में प्रवेश या सवारी करते समय, MTR (एमटीआर) भुगतान क्षेत्र में प्रवेश या उसमें उपस्थित होने पर, किसी निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थान (वर्तमान में सभी सार्वजनिक स्थानों सहित, कन्ट्री अध्यादेश (Cap. 208) की धारा 2 में परिभाषित कन्ट्री पार्को और विशेष क्षेत्रों में आउटडोर सार्वजनिक स्थानों को छोड़कर) में प्रवेश या उपस्थित होने पर मास्क पहनने में विफल होने पर अपराध करता है। अपराध के लिए दायित्व का निर्वहन करने के लिए निश्चित जुर्माना \$ 2,000 से बढ़ाकर \$ 5,000 कर दिया गया है; और

(3) रोग की रोकथाम और नियंत्रण (कुछ व्यक्तियों के लिए अनिवार्य टेस्टिंग) विनियमन (Cap. 599J) के तहत, जो कोई भी अनिवार्य टेस्टिंग निर्देश या अनिवार्य टेस्टिंग नोटिस की आवश्यकता का

पालन करने में विफल रहता है, वह अपराध करता है। अपराध के लिए दायित्व का निर्वहन करने के लिए निश्चित जुर्माना \$ 2,000 से बढ़ाकर \$ 5,000 कर दिया गया है।

निश्चित दंड में बढ़ोतरी के साथ-साथ, Cap. 599I और Cap.599J के तहत संबंधित अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अधिकतम दंड तदनुसार बढ़ाया जाएगा। विवरण एनेक्स में हैं।

प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि सरकार कानून के निरीक्षण और प्रवर्तन को बढ़ाएगी, अपराधीयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। यदि अनुपालन संतोषजनक नहीं रहा, तो सरकार दंड में और वृद्धि से इंकार नहीं करती है।

प्रवक्ता ने कहा, " महामारी-विरोधी कार्य के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, हमें सामाजिक दूरी और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए समुदायों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि खुद की, हमारे परिवारों और बड़े पैमाने पर जनता की, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले और वंचित समूहों की रक्षा की जा सके। तदनुसार, सरकार दृढ़ता से जनता के सभी सदस्यों से आग्रह करती है कि जहां तक संभव हो घर पर रहें और सभी अनावश्यक सामाजिक गतिविधियों को रोक दें। हमें विश्वास है कि सभी की एकजुटता और ठोस प्रयासों के साथ, हमें सामान्य आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की दृष्टि से महामारी की इस लहर से लड़ने में सक्षम होना चाहिए।"

समापन / शुक्रवार, 4 दिसंबर, 2020

19:48 HK समय पर प्रकाशित